

मु० न०:- 31/2023

तारीखरजू:- 16-3-2023

उनवान:- नादानसिंह बनाम मोहन वगै०
दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा 188

दिनांक	फर्द अहकाम	
16.03.2023	<p>वादी की और से श्री रामभरोसी गुप्ता एड० ने दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188 आर टी एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 05.04.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(गौरव कुमार मित्तल) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>	<p>1114-16 16.3.23</p>
54 23	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी न० 1, 2, 3 ने उपस्थित होकर आडोसिंग पर हस्ताक्षर किये। P० साहब करौली जिल्ला मे पधार है वास्ते अग्रिम आडोस दिनांक 18.4.23 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">उज्ज्वल</p>	<p>वि० रघुनाथ</p> <p>18.4.23</p> <p>रघुनाथ</p>
184 23	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी न० 1, 2, 3 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एड० ने भीमो पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। P० साहब अमरा पर पधार है वास्ते अग्रिम आडोस दिनांक 5.5.23 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">उज्ज्वल</p>	
5 23	<p>वादी वकील/वकील उमर पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी..... पी० प्र० पधार है। पत्रावली गणानुसार दिनांक..... 9.6.23 को पेश हो। पूर्यक</p>	
9 23	<p>वादी वकील/वकील उमर पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी..... अमरा प्र० पधार है। पत्रावली गणानुसार दिनांक..... 21.7.23 को पेश हो। पूर्यक</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला

दिनांक	फर्द अहकाम
4.11.25	<p>पत्रावली पेय दुर्ग तादी कलेक्टर उपलब्ध । प्रीतिवती नं. 2 के कोर्ट नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 23.12.25 को पत्रा है। क</p>
<p>23.12.25</p> <p>DD</p>	<p>पत्रावली पेय दुर्ग तादी एवं तादी कलेक्टर कोर्ट उपलब्ध नहीं लाए कर अग्रिम दिनांक गयी अन्तर्गत उपरान्त भी कोर्ट उपलब्ध नहीं। शसिवल उक्त दाय ल्यायी निवेदन अग्रिम पत्रा लै अग्रिम हाजिरी ले अग्रिम क्रिय जाता है। पत्रावली फेरत अग्रिम टोकर नम्वर ले अग्रिम कर शसिवल अग्रिम हो। क</p>